रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2075] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2017/श्रावण 4, 1939
No. 2075] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2017/ SRAVANA 4, 1939

India Code

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

का.आ. 2341(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 581(अ), तारीख 21 जून, 2001 के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 41 के 52.7 कि.मी. का खण्ड जो राष्ट्रीय राजमार्ग -6 पर एक ओर हल्दिया पत्तन को और दूसरी ओर कोलाघाट को जोड़ता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण संदर्भित किया है) को सौंपा है;

और यतः, केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. संख्या 115(अ) तारीख 09 जनवरी, 2013 द्वारा, जिसमें अधिसूचना का.आ. संख्या 896(अ) तारीख 26.03.2014 की क्रम संख्या 84 द्वारा द्वारा यंशोधन किया गया है, प्राधिकरण को पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 41 की सड़क की निवल लंबाई 52.70 कि.मी. के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया है।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 41 के कोलाघाट हल्दिया सेक्शन (0.000 किमी से 52.080 किमी तक) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 31.01.2017 को प्रस्तुत बोली के लिए

प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर मैसेर्स ईगलदीप कोलाघाट हल्दिया ओएमटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी.के.- संख्या 758, संख्या 16, प्लॉट- संख्या-59, चोपरा कोर्ट के निकट, उल्हासनगर, 3 ठाणे- 421003, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त करार संदर्भित किया गया है), के साथ करार किया हैश्,

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008, द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात ''नियम'' संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 115(अ), तारीख 09 जनवरी, 2013 जिसमें शुल्क अधिसूचना का.आ. 896(अ) तारीख 26 मार्च, 2014 की क्रम संख्या 84 द्वारा संशोधन किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गईं हैं या करने से लोप करा दी गईं हैं, उक्त खंड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दवाब तथा प्राधिकरण एंव रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि सारिणी 1 में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों पर सड़क खंड की निवल लंबाई 50.484 कि.मी. [1.596 कि.मी. की संरचना को छोड़कर (जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लंबाई 15.96 किमी है] के चार या अधिक लेन सेक्शनों के उपयोग के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात आधार दर संदर्भित किया गया है) उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा एंव उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के उपयोग के लिए प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले	4.20

1. नीचे उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

क्र. सं.	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.में.) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1.	रारा-41 पर 11.600 कि.मी./चैनेज पर (पूर्वी मेदनीपुर जिले में सोनापेट्या गांव के निकट)	50.484 कि.मी. (60 मीटर से अधिक की लम्बाई की 1.596 कि.मी. संरचना को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, नीचे विनिर्दिष्ट पुल (पुलों) और/या संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर या अधिक है, जैसी भी स्थिति हो, के लिए नीचे उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा।

.

क्रम संख्या	टोल प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरच नाओं की लम्बाई (कि.मी. में) (आंकड़े 3 अंकों में पूर्णांकित किए गए)	सड़क की समकक्ष लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	रारा-41 पर 11.600 कि.मी./चैनेज पर (पूर्वी मेदनीपुर जिले में सोनापेठ्या गांव के निकट)	1.596	15.96	ऊपर सारिणी 1 में उल्लिखित दरों का 100%

60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	टोल प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज)	संरचनाओं का प्रकार	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं *की लंबाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (कि.मी. में)
1	रारा-41 पर 11.600 कि.मी./चैनेज पर (पूर्वी मेदनीपुर जिले में सोनापेटया गांव के निकट)	बड़े पुल (चैनेज 1.185)	0.072	0.72
		आरओबी (चैनेज 2.067)	0.403	4.03
		फ्लाई ओवर (चैनेज 2.687)	0.402	4.02
		आरओबी (चैनेज 13.104)	0.116	1.16
		आरओबी (चैनेज 29.877)	0.603	6.03
		योग	**1.596**	**15.96**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रूपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास और उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

IndiaCode

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों के लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और इसके तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और ओएमटी रियायतग्राही के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन कि तारीख से 6 (छ) महीने कि अवधि के भीतर कोई संशोधन नही किया जाएगा।

10. 01.07.2017 के अनुसार, वाणिज्यिक प्रचालन कि तारीख से परियोजना की वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 449.12* (चार सौ उनंचास करोड़ बारह लाख रुपये मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से, टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधनों के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार, लागू दरों पर किया जाएगा। पूंजीगत लागत की वसूली रियायत शुल्क के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को एन वी पी को प्राप्त करने हेतु 12% प्रतिवर्ष की दर से छूट देते हुए की जाएगी। परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की अनंतिम तारीख 01.07.2017 है।

जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी उस दिन से लिए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। रियायत शुल्क को भी देय राशि से घटाकर 40% कर दिया जाएगा तथा खंड 21.1.1 के अनुसार 10% की वार्षिक वृद्धि भी लागू होगी।

*टिप्पणी: जिसमें, रा रा – 41 के अंत में चैनेज 52.080 से 53.472 तक रानीचक पर आरओबी-सह- फ़्लाइओवर (निर्माणाधीन) पर विचार करते समय आरओबी-सह-फ़्लाइओवर की लागत को जोड़ते हुए संशोधित शुल्क अधिसूचना जारी करने के समय भाराराप्रा द्वारा किए जा रहे आरओबी-सह-फ़्लाइओवर के निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर, अलग से संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/17-18/जीसी- कोलाघाट-हल्दिया (ओएमटी)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2017

S.O. 2341(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number S.O. 581(E), dated the 21st June, 2001, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the 52.7 Km. stretch of National Highway No. 41 connecting Haldia Port on one end and Kolaghat on NH-6 on other end in the state of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) ;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act 1956(48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the government of India vide S.O. No. 115 (E) dated 09th January, 2013 and amended vide Sl. No. 84 of S.O. No. 896 (E) dated 26.03.2014 notification has authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for net road length of 52.70 Km. of National Highway number 41 in the State of West Bengal.

And Whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 09.05.2017 with M/s Eagledeep Kolaghat Haldia OMT Project Private Ltd having its registered office at B.K. No. 758, No. -16, Plot No. 59, Near Chopra Court, Ulhasnagar, 3 Thane-421003, District Thane (Maharashtra) (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bids submitted on 31.01.2017 for the Operation and Maintenance of Kolaghat Haldia section (from km 0.000 to km 52.080) of NH-41 in the state of West Bengal (hereinafter referred to as the "said section") on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and its amendment till bid submission date (hereinafter referred to as the "Rules"), (hereinafter referred to as the "Rules") and in supersession of the notifications number S.O. 115(E) dated 09th January, 2013 as amended vide Sl. No. 84 of fee notification S.O. No. 896(E) dated 26th March, 2014 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles, specified in Table 1 for net road section length of 50.484 km. {excluding 1.596 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 15.96 km} (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the Agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Sl. No.	**Location of Toll Plaza (chainage)**	**Length (in km) for which Fee is payable**
1	At Km/Ch. 11.600 on NH-41 (near village Sonapetya in East medinipur District).	50.484 Km (excluding 1.596 km. length of structure >60 m)

2. In addition to the above, the fee levied and collected hereunder for the permanent bridge (s) and /or Structures, as the case may be, having length of 60m or more as specified below shall be due and payable at the following Toll Plaza(s):

Sl. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length (Figures rounded to 3 digits)	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	At Km/Ch. 11.600 on NH-41 (near village Sonapetya in East medinipur District).	1.596	15.960	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

Details of structures of length >60 m is as under:

Sl. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Nature of Structure	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)
1.	At Km/Ch. 11.600 on NH-41 (near village Sonapetya in East medinipur District).	Major Bridge (chainage 1.185)	0.072	0.72
		ROB (chainage 2.067)	0.403	4.03
		Flyover (chainage 2.687)	0.402	4.02
		ROB (chainage 13.104)	0.116	1.16
		ROB (chainage 29.877)	0.603	6.03
		Total	**1.596**	**15.96**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred and Forty-five only) for the year 2017-18, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

IndiaCode

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised and got published annually through the OMT Concessionaire in accordance with the Rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement, and will be published; provided, however, that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

10. The Present Value of Capital Cost of the project to be recovered from the date of COD is Rs. 449.12* Crore (Rupees four hundred forty-nine crore and twelve lakh only) as on 01.07.2017. From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. The Capital Cost shall be recovered through Concession Fee by discounting @ 12% per annum to arrive at NPV as on the date of commercial operation (COD). The tentative COD for the project is 01.07.2017.

 After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of the rate being charged. The Concession Fee shall also be reduced to 40% of the amount payable and annual increment of 10% as per Clause 21.1.1 shall be applicable.

 *Note: Which will be revised separately on completion of construction of ROB cum Flyover being taken up by NHAI at the time of issuance of the revised toll notification by adding the cost of ROB cum Flyover at the time of considering the ROB cum Flyover at Ranichak (under Construction) at Chainages from 52.080 to 53.472 at the end of NH-41.

[F. No. NHAI/13013/CO/17-18/GC Kolaghat-Haldia (OMT)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.28 12:59:09 +05'30'